न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 24 / 2018

बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाखा नई मण्डी भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी
....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1–श्री गोपाल प्रसाद सैनी पुत्र करन सिंह । निवासी सूरज पोलगेट के बाहर, कम्पनी बाग के
2–श्री मनीष सैनी पुत्र गोपाल प्रसाद सैनी । के सामने भरतपुर जिला भरतपुर
......अप्रार्थी ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

उपस्थितः–
श्री विमल सिंह अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 20.3.2018

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 14–01–2011 को प्रार्थी बैंक से 775000/– रुपये की टर्म ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने अपनी अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान सूरज पोल गेट के बाहर कम्पनी बाग के सामने भरतपुर (जो कि गोपाल प्रसाद सैनी पुत्र करनसिह सैनी के नाम से) जिला भरतपुर में स्थित है, जिसके हदूदअरबा निम्न प्रकार है : पूर्व में –आम रास्ता, पश्चिम में– मकान करण सिह , उत्तर में–रोड़, दक्षिण में –आम रास्ता है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

Web Copy - Not Official

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 22.2.2016 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 16–10–2015 तक 42229.16/– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 29–11–2017 को अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

.........2

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस दिनांक 13–10–2017 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई हैं । बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने अपनी अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान सूरज पोल गेट के बाहर कम्पनी बाग के सामने भरतपुर (जो कि गोपाल प्रसाद सैनी पुत्र करनसिंह सैनी के नाम से) जिला भरतपुर में स्थित है, जिसके हदूदअरबा निम्न प्रकार है : पूर्व में –आम रास्ता, पश्चिम में– मकान करण सिह , उत्तर में–रोड़, दक्षिण में –आम रास्ता है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर